फर्द अहमकाम

धर्मपाल वगै० बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार जोब०

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 02/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र के संबंध में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 2 लगायत 14 के मध्य आपसी सहमति से विभाजन किया। जिसमें राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबन्दी में रकवा सही दर्ज कर दिया गया, परन्तु नक्शे में तरमीम रकबे अनुसार नही की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से भूमि के अन्दर पहुंचने हेतु 30 फिट चौडा रास्ता कायम किया था, जिसे सहवन से 15 फिट का कायम कर गलत तरमीम कर दिया गया। उक्त त्रुटि को दुरूस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। सरकार पैरोकार द्वारा दौराने बहस अवगत कराया गया कि धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956 के अन्तर्गत भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा बनाये नक्शे एवं नये नक्शे में कोई अशुद्धियां हुई हो तो उन अशुद्धियों को शुद्ध किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ। वर्तमान तरमीम में हुई अशुद्धि की सुनवाई के लिए यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.02.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य खसरा नंबर 983/332 का आपसी सहमति से विभाजन का आवेदन प्राप्त होने पर नामांतरण संख्या 2260 दिनांक 21.03.2023 को स्वीकृत हुआ। मूल खसरा नं0 983/332 का विभाजन होने पर खसरा नं0 992/983 लगायत 1012/983 बने, जो कि सहमति विभाजन अनुसार जमाबन्दी में सही अंकन है। विभाजन की तरमीम नक्शे में करने के दौरान सहवन से रास्ता मौके से	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

२४/६/२५	15 फिट उत्तर की तरफ कट गया। जो कि आगे की तरफ भी उत्तर की तरफ ही करने से सभी खसरों में मौके से भिन्न तरमीम हो गयी। रास्ते की चौडाई 15 फिट दर्ज हुई। जबकि पीछे की तरफ 30 फिट चौडाई में रास्ते का कटान हुआ है। उक्त विभाजन तरमीम में सभी खसरों में रास्ते के कारण आंशिक त्रुटियां है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222, 225 के अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील संबंधित माननीय न्यायालय, जिला कलक्टर के समक्ष पेश की जानी चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष सहमति से किये गये तकासमा एवं नक्शे में किये गये सहमति इन्द्राज के संबंध में कोई दस्तावजे पत्रावली पर पेश नहीं किये गये है। धारा 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गयी अशुद्धियों को ही शुद्ध किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ एवं विभाजन की तरमीम राजस्व नक्शे में गलत दर्ज हुई है, उक्त गलत तरमीम वर्तमान पटवारी द्वारा हुई त्रुटि है। जो धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	